

वर्ष 2022 का अचल सम्पत्ति विवरण (दिनांक 01/01/2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का नाम व सेवा जिससे वह सम्बन्धित है : श्री. लक्ष्मण शर्मा
 वर्तमान पद : मुख्य अभियंता, तालुका
 2. वर्तमान वेतन : 55500/- रुपये तथा ग्रेड वेतन 4200/- रुपये

क्र.सं.	उस जिले उप-प्रभाग, तालुका तथा गाँव का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम एवं विवरण		यदि यह खयं के नाम मे नहीं है तो बताएं कि यह किसके नाम पर है तथा कर्मचारी से उसका क्या सम्बन्ध है ?	सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या यह खरीदी गई, पट्टे पर जी गई, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे यह सम्पत्ति ली गई है।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तियों	
		आवासीय अथवा अन्य भवन	भूमि					वर्तमान मूल्य
1.	कोटा साइड कन्स्ट्रि	आवासीय	-	500000/- पश्चात् लागू कर्पण मंत्र	शकुन्ता कुमारी कर्मचारी	शरीर गई	NIL	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

जो लागू न हो उसे काट दें। यदि सम्पत्ति के सटीक मूल्य का आकलन सम्भव नहीं हो तो, वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाया जाए।
 अल्प अवधि को भी शामिल करें।

टिप्पणी :- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(3) तथा (4) के अधीन प्रत्येक वर्ग-I तथा II के प्रत्येक सदस्य को सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके बाद प्रत्येक 12 महीने के अन्तराल पर अपने नाम अथवा अपने परिवार के नाम पर या किसी अन्य सदस्य के नाम पर अपने स्वामित्व में, अर्जित अथवा विरासत में प्राप्त अथवा पट्टे पर या बंधक सभी अचल सम्पत्तियों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

स्थान :- कोटा
 दिनांक :- 24/01/22
 हस्ताक्षर :
 नाम : श्री. लक्ष्मण शर्मा
 पदनाम/कार्यालय : मुख्य अभियंता, तालुका
 अर्जित विवरण कोटा

वर्ष 2022 का अचल सम्पत्ति विवरण (दिनांक 01-01-2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का नाम व सेवा जिससे वह सम्बन्धित है : रस्ताफर कुमार न्यायक
 2. वर्तमान पद : भू. अभिलेख निरीक्षक
 वर्तमान वेतन : 57200/- रुपये तथा ग्रेड वेतन 4200/- रुपये

क्र.सं.	उस जिले उप-प्रभाग, तालुका तथा गाँव का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम एवं विवरण			यदि यह स्वयं के नाम में नहीं है तो बताएं किसके नाम पर है तथा कर्मचारी से उसका क्या सम्बन्ध है ?	सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या यह खरीदी गई, पट्टे पर जी गई, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे यह सम्पत्ति ली गई है।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तियां
		आवासीय अथवा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य				
1.	शास - खोखरी तहसील - रायपुर जिला - पाली	-	कृषिभूमि 0.364 (हैक्टर)	300000/- (तीन लाख)	सौक	उत्तराधिकार से गुल	Nil	
2.	शास - खोखरी तहसील - रायपुर जिला - पाली	-	कृषिभूमि 0.58 (हैक्टर)	700000/- (सात लाख)	सौक	उत्तराधिकार से गुल	25000/-	

जो लागू न हो उसे काट दें। यदि सम्पत्ति के सटीक मूल्य का आकलन सम्भव नहीं हो तो, वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाया जाए। अल्प अवधि को भी शामिल करें।

टिप्पणी :-

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आवरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(3) तथा (4) के अधीन प्रत्येक वर्ग-I तथा II के प्रत्येक सदस्य को सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके बाद प्रत्येक 12 महीने के अन्तराल पर अपने नाम अथवा अपने परिवार के नाम पर या किसी अन्य सदस्य के नाम पर अपने स्वामित्व में, अर्जित अथवा विरासत में प्राप्त अथवा पट्टे पर या बंधक सभी अचल सम्पत्तियों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम / कार्यालय



रस्ताफर कुमार न्यायक

भू. अभिलेख निरीक्षक

नगर विकास शाखा, कोरा

स्थान :- कोरा

दिनांक :- 24.6.2022

वर्ष 2022 का अचल सम्पत्ति विवरण (दिनांक 01.01.2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का नाम व सेवा जिससे वह सम्बन्धित है : कर्मिन्द कुमार सोनी
वर्तमान पद : ज्य. अभि. निरीक्षक
वर्तमान वेतन : 4200/- रुपये तथा ग्रेड वेतन 4200/- रुपये

क्र.सं.	उस जिले उप-प्रभाग, तालुका तथा गाँव का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम एवं विवरण			यदि यह स्वयं के नाम में नहीं है तो बताएं किसके नाम पर है तथा कर्मचारी से उसका क्या सम्बन्ध है ?	सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या यह खरीदी गई, पट्टे पर जी गई, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे यह सम्पत्ति ली गई है।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तियां
		आवासीय अथवा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य				
1.	कोटा साडपुडा केशवपुरा	आवासीय (20x50')	-	300000/- अथवा नफा को मास	-	उत्तराधिकार से (पेट्टे सञ्चालित)	Nil	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

जो लागू न हो उसे काट दें। यदि सम्पत्ति के सटीक मूल्य का आकलन सम्भव नहीं हो तो, वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाया जाए।
अल्प अवधि को भी शामिल करें।

टिप्पणी :- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आवरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(3) तथा (4) के अधीन प्रत्येक वर्ग-I तथा II के प्रत्येक सदस्य को सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके बाद प्रत्येक 12 महीने के अन्तराल पर अपने नाम अथवा अपने परिवार के नाम पर या किसी अन्य सदस्य के नाम पर अपने स्वामित्व में, अर्जित अथवा विरासत में प्राप्त अथवा पट्टे पर या बंधक सभी अचल सम्पत्तियों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

स्थान :- कोटा
दिनांक :- 24/06/2022

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/कार्यालय

कर्मिन्द कुमार सोनी
ज्य. अभि. निरीक्षक
नजारा विभाग न्याय कोटा